

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut



पत्रांक: परीक्षा/5750
दिनांक: 2/2/22

अति आवश्यक

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषय : परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0वी (ओडियो सहित) एवं अन्य परीक्षा केन्द्र हेतु मानक की व्यवस्था किये के जाने सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की सत्र 2021-22 सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाएं यथाशीघ्र आयोजित होनी प्रस्तावित हैं। इस आशय हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाना है। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय को कभी भी अल्प सूचना पर विश्वविद्यालय परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकता है।

अतः ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय जिनमें सी0सी0टी0वी0 (ओडियो सहित) व अन्य परीक्षा केन्द्र हेतु मानक उपलब्ध नहीं हैं, वह शीघ्र इनकी व्यवस्था कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी शासनादेश संख्या-01/2020/17/सत्तर-1-2020-16(9)/2018, दिनांक 03.01.2020 में अंकित समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। शासनादेश की प्रति संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. वैयक्तिक सहायक, प्रति कुलपति को मा0 प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ।
03. समन्वयक-सी0सी0टी0वी0 कण्ट्रोल रूम, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
04. समन्वयक-केन्द्रीय उड़ाका दल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।

सहा0 कुलसचिव (परीक्षा)

प्रेषक,

आर0 रमेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी, 2020

विषय:-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-09/2018/1036/सत्तर-1-2018-16(9)/2018 दिनांक 15 नवम्बर, 2018 (यथा संशोधित) द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। उपर्युक्त शासनादेश को संशोधित करते हुये परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने हेतु निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:-

- 1- जिन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववितापोषित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं रिकार्डिंग हेतु डी0वी0आर0 तथा पारदर्शितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराये जाने एवं उसकी वेबकास्टिंग द्वारा मनीटरिंग किये जाने के उद्देश्य से वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे के डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य होगा।
- 2- परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्याएँ एक कक्ष में न्यूनतम दो व जहाँ कक्षहाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इससे अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायें कि सम्पूर्ण परीक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से कैमरों की कवरेज में आ जाय। प्रत्येक सी0सी0टी0वी0 कैमरे में वायस रिकार्डर एवं डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य है।
- 3- सर्वप्रथम राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय, तत्पश्चात् स्ववितापोषित महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय।
- 4- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता अक्षुण्ण रखे जाने हेतु तथा उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित एवं समुचित रख-रखाव के लिये कम से कम दो लोहे की अलमारियाँ सहित स्ट्रांग रूम की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- 5- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों के चारों ओर सुरक्षित चहारदीवारी एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- 6- महाविद्यालयों की आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं में महाविद्यालय की स्थिति, उसकी धारण क्षमता, फर्नीचर, विद्युत कनेक्शन, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था तथा सड़क मार्ग से महाविद्यालयों के मध्य दूरी इत्यादि को दृष्टिगत रखा जाय तथा उक्त सुविधाओं के अभाव में महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
- 7- परीक्षा केन्द्र चयनित करते समय महाविद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन युक्त पक्के, लिंटेड शिक्षण कक्षों (प्रयोगशाला कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्राचार्य कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, क्रीडा कक्ष को छोड़ कर) में उपलब्ध फर्नीचर के अनुसार एक पाली की परीक्षा में नियमानुसार व्यवस्थित रूप से बैठकर परीक्षा दे सकने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अर्थात् महाविद्यालय की धारण क्षमता

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(शिक्षण कक्षाओं पर परीक्षा देने हेतु एक परीक्षार्थी के लिये 20 वर्गफुट (1.86 वर्गमी०) का क्षेत्रफल निर्धारित है, के सापेक्ष ही परीक्षार्थी आवंटित किये जाने की व्यवस्था का दृढ़ता से पालन किया जाय।

- 8- राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, सहयुक्त एवं संघटक महाविद्यालयों से यथासंभव 5 से 10 किमी० की परिधि में आने वाले महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जायें। छात्राओं के लिये स्व-केन्द्र प्रणाली लागू रहेगी।
- 9- परीक्षाओं हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं को, यदि उनका महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है तो उन्हें अपने ही महाविद्यालय में केन्द्र आवंटित किया जाय। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को जहां स्वकेन्द्र स्थानीय केन्द्र की सुविधा न दी जा सके, वहां उन्हें अधिकतम 05 कि०मी० की परिधि के केन्द्र पर परीक्षा देने की सुविधा दी जाय। यह सुविधा उन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की संस्थागत छात्राओं को भी उपलब्ध कराई जाय जो सहशिक्षा के महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। एक महाविद्यालय की छात्राओं को अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित नहीं किया जाय।
- 10- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले जिन महाविद्यालयों की छात्राओं को स्व-केन्द्र की सुविधा प्रदान की जायेगी वहां वाह्य अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष के साथ कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ वाह्य महाविद्यालयों से नियुक्त किया जाय।
- 11- विगत तीन वर्षों में सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जिन परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की स्थिति पाये जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा सम्पादित करानी पड़ी हो और उन महाविद्यालयों को परीक्षा समिति शासन द्वारा डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।
- 12- जिन महाविद्यालयों के परिसर में प्रबन्धक/प्राचार्य के आवास निर्मित हैं, उन्हें परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
- 13- जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय से पूर्व प्रश्न पत्रों के प्रकटन/प्रश्नपत्रों की चोरी/गोपनीयता भंग की गयी हो और परीक्षा समिति द्वारा उन्हें इस कारण से डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को न्यूनतम 03 वर्ष परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।
- 14- जिन महाविद्यालयों के डाटा ए०आई०एस०एच०ई० के पोर्टल पर अपलोड न हों, उन्हें यथासंभव परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय तथा परीक्षा केन्द्र के निर्धारण में अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाय।
- 15- गत वर्ष की परीक्षा के दौरान जिन परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, परीक्षा केन्द्रों पर हिंसात्मक या आगजनी की घटनाएं हुई हों और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) दर्ज कराई गयी हो, जिसके कारण उन्हें डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
- 16- जिन महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति में विवाद हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।
- 17- परीक्षा केन्द्र पर वायस रिकार्डर युक्त सी०सी०टी०वी० कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी, परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परीक्षण किया जा सके।
- 18- किसी परीक्षा केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक को हटाकर वहां राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य/वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर को वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक एवं परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठतम असिस्टेंट प्रोफेसर को सह केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त कर अग्रिम परीक्षाएं सम्पादित करायी जायें।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 19- परीक्षाओं में भी पूर्व की भांति प्रत्येक परीक्षा कक्ष में (परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुये) दो कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था लागू रहेगी। राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के जो शिक्षक ड्यूटी/परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन विषयक आदेशों की अवहेलना करेंगे या सौंपे गये कार्यों को नहीं करेंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा तथा तदुसार उनका वेतन काट लिया जाय।
- 20- परीक्षा कक्ष के द्वार पर ए-4 साइज के पेपर पर परीक्षा कक्ष में तैनात कक्ष निरीक्षकों के फोटोयुक्त विवरण यथा-नाम, पदनाम, अध्यापन का विषय आदि का विवरण प्रत्येक पाली में चस्पा किया जाय।
- 21- परीक्षा अवधि में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों से इतर वाह्य व्यक्तियों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश वर्जित होगा।
- 22- परीक्षाओं में भविष्य में औचक निरीक्षण हेतु गठित सचल दल में महिला निरीक्षणकर्ता की अनिवार्य व्यवस्था की जाय तथा जिन परीक्षा केन्द्रों पर महिला परीक्षार्थी आवंटित की गयी हैं वहां पर महिला कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था की जाय। किसी भी दशा में सचल/निरीक्षण दल के पुरुष सदस्य द्वारा महिला परीक्षार्थियों की तलाशी नहीं ली जायेगी। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी सचल दल की महिला निरीक्षणकर्ता द्वारा ही की जायेगी। परीक्षा कक्ष में निरीक्षण दल/सचल दल के सदस्य एवं पर्यवेक्षक ही प्रवेश कर सकेंगे, अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय में अग्निशमन के निर्धारित मानकों के अनुसार समुचित प्रबंध अनिवार्य होगा। अग्निशमन के संसाधनों यथा फायर एक्सटिंग्विशर, पानी की बाल्टियां एवं रेत आदि की व्यवस्था वांछनीय होगी। सभी अग्निशमन यंत्र नवीनीकृत होने चाहिए।
- 23- परीक्षा केन्द्र बनने वाले महाविद्यालयों में विद्युत की अबाध आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके दृष्टिगत जेनरेटर का भी वैकल्पिक प्रबंध होना अनिवार्य होगा।
- 24- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं शौचालय होना अति आवश्यक होगा एवं छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय होना अति आवश्यक होगा।
- 25- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय मुख्य/सम्पर्क सर्वश्रेष्ठ मार्ग से जुड़ा हो, ताकि वहां आसानी से पहुंचा जा सके और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता की आकस्मिक जांच एवं नकल विहीन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता पूर्वक हो सके।
- 26- राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की पूर्ण धारण क्षमता का उपयोग करते हुए परीक्षार्थियों का आवंटन किया जाय।
- 27- एक परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक महाविद्यालय के परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु आवंटित किया जाय।
- 28- यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्र पर तम्बू कनात लगाकर या खुले में परीक्षाएं आयोजित न करायी जाय।
- 29- एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर किसी भी दशा में आवंटित न किया जाय इसके साथ ही विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित किये जाने का भी निषेध किया जाता है। इस प्रकार ऐसे केन्द्रों का आवंटन कदापि न किया जाय। इसी के साथ ही प्रबन्ध-तंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उसी प्रबन्ध तंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी जाय।
- 30- विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर नहीं आवंटित किया गया है, विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित नहीं किया गया

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

है तथा एक ही प्रबन्ध-तंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उसी प्रबन्ध-तंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की इ्यूटी नहीं लगायी गयी है।

- 31- दिव्यांग छात्र/छात्राओं को, यदि उनका महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, तो स्वकेन्द्र की सुविधा दी जाय। अन्यथा स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों के दिव्यांग छात्र/छात्राओं को यथास्थिति स्थानीय/निकटस्थ परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने हेतु समायोजित किया जाएगा।
- 32- जिन महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें महाविद्यालय के प्राचार्य यदि डिबार नहीं किए गए हैं तो केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए जायेंगे। ऐसे महाविद्यालय जहाँ के प्राचार्य डिबार हैं वहाँ वाह्य केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।
- 33- परीक्षा के दौरान 200 मीटर तक प्रबन्ध समिति अथवा अन्य व्यक्ति जो परीक्षा कार्य से सम्बन्धित नहीं हैं, उन्हें प्रवेश न दिया जाय।
- 34- प्रश्नपत्र यथासम्भव शासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में वितरित/प्राप्त किये जायें।
- 35- परीक्षा केन्द्रों के आवंटन हेतु आवेदन केवल आनलाइन किया जायेगा, निश्चित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन के समय शासनादेशों में वांछित सभी सूचनाओं को सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा पूर्ण विवरण के साथ देना होगा।
- 36- समय-समय पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी परीक्षा केन्द्रों के आवंटन की प्रक्रिया की पारदर्शिता का परीक्षण करेंगे। विसंगति/आपत्ति प्राप्त होने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उक्त परीक्षा केन्द्र को निरस्त करना होगा।
- 37- यथा सम्भव उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा समाप्ति के 02 घण्टे के भीतर सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में सम्बन्धित जिले के शासकीय महाविद्यालय के उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र पर जमा की जायेगी।
- 38- जिला/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समन्वय स्थापित करके प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जायेगा।
- 39- परीक्षा केन्द्र के भीतर पुस्तक, गाइड, कम्प्यूटर, मोबाइल व कैलकुलेटर अनुमन्य नहीं होंगे, इसकी सूचना पहले से ही विद्यार्थियों को देनी होगी।
- 40- (1) समस्त परीक्षा केन्द्रों पर राउटर लगाये जाने के पश्चात् केन्द्र व्यवस्थापको/ प्राचार्यों द्वारा पारदर्शितापूर्ण परीक्षा संचालन की वेबकास्टिंग व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापको/प्राचार्यों द्वारा केन्द्र में लगे **DVR** का आई0पी0 एड्रेस उनकी यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड एक सील बन्द लिफाफे में परीक्षा प्रारम्भ के एक माह पूर्व ही सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम बनाया जायेगा, जिसे जनपदीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में सुविधानुसार स्थापित किया जा सकता है कन्ट्रोल रूम हेतु आवश्यक कम्प्यूटर्स आदि की व्यवस्था क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे महाविद्यालयों से लेकर की जायेगी जो परीक्षा केन्द्र नहीं बने हैं।
(3) कन्ट्रोल रूम में प्रत्येक कम्प्यूटर पर अधिकतम 15 से 16 परीक्षा केन्द्रों के सतत् निरीक्षण हेतु राजकीय महाविद्यालयों के दो-दो शिक्षकों की इ्यूटी लगायी जायेगी। निरीक्षण में परीक्षा केन्द्रों पर किसी प्रकार की अनुचित स्थिति परिलक्षित होने पर अथवा सी0सी0टी0वी0 आदि सही ढंग से कार्य नहीं करने पर उसकी सूचना तत्काल क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सचल दलों को दी जायेगी। इसके साथ ही इसको दैनिक रूप से एक निरीक्षक पंजिका में भी अंकित किया जायेगा।
(4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर बनाये गये इस कन्ट्रोल रूम की मॉनिटरिंग जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जायेगी।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

41- समस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने एवं उसका विश्लेषण कर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आवश्यकतानुसार शासन को संदर्भित करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज नोडल अधिकारी होंगे। परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। उक्त प्रारूप पर सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की ई मेल info@chapcom पर दैनिक रूप से रात्रि 09:00 बजे तक प्रेषित की जाय।

निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित छात्र छात्राओं, महाविद्यालय के प्रबन्धन, शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मिकों/अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में संकलित सूचना शासन को प्रतिदिन नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
आर० रमेश कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- संख्या-01/2020/17(1)/सत्तर-1-2020-तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 6- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा अनुपालन आख्या शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें।
- 7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के अनुश्रवण हेतु प्रारूप-

दिनांक

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम-

परीक्षा की तिथि/पाली-

परीक्षार्थियों की संख्या			अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या			अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित अभ्यर्थी तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही, विषयवार				अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित महाविद्यालय के प्रबन्धन/शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मियों/अन्य व्यक्तियों की संख्या तथा उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण				अभ्युक्ति
1			2			3				4				5
क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	घ	क	ख	ग		
छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल	कार्यवाही	अलग-अलग संख्या	कुल	कार्यवाही		

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।